GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 111
TO BE ANSWERED ON 8TH DECEMBER, 2021

Drinking water and sanitation facilities at schools

111 **Shri T.G. Venkatesh:**

Will the Minister of ***Education*** be pleased to state:

(a) the total number of schools in the country that do not have adequate drinking water and sanitation facilities as on date, the details thereof;

(b) whether Government has set any time-bound target to provide drinking water and sanitation facilities in all schools; and

(c) if so, the details thereof including the funds earmarked for this purpose and the target set for completion?

ANSWER
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 111 TO BE ANSWERED ON 8TH DECEMBER 2021 ASKED BY HON'BLE MP SHRI T.G. VENKATESH REGARDING DRINKING WATER AND SANITATION FACILITIES AT SCHOOLS

(a) to (c): As per Unified District Information System for Education (UDISE+), 2019-20, out of 15,07,708 total number of schools in the country, 14,64,728 schools have drinking water facilities; 14,17,073 schools have boys toilets and 14,47,833 schools have girls toilets. The schools run by the Central Government, 1245 Kendriya Vidyalayas (KVs) and 650 Jawahar Navodaya Vidyalayas (JNVs) have 100% drinking water and sanitation facilities.

Education is in the concurrent list of the Constitution and most of the schools are under the jurisdiction of concerned States & UTs. State and UT Governments are the appropriate Governments under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, and have the responsibility and mandate to provide school infrastructure including drinking water and toilet facilities in schools in accordance with the norms laid down in the Schedule to the RTE Act, 2009 and as per respective State RTE Rules. States and UTs have been repeatedly advised to ensure that all the schools, including those under the non-Government sector (private, aided schools, etc.) in their jurisdiction should have provision for separate toilets for boys and girls; and safe and adequate drinking water facilities for all children.

The Department of School Education and Literacy has launched an Integrated Centrally Sponsored Scheme for School Education – Samagra Shiksha w.e.f. 2018-19. Under Samagra Shiksha, States and UTs are supported for strengthening of existing Government schools, and for creation and augmentation of infrastructure facilities including drinking water and toilets as per proposals received from respective State/UT based on the identified gaps. The scheme also provides for an annual recurring composite school grant varying up to Rs. 1,00,000/- per annum depending upon the number of students, for all government schools, out of which at least 10% is to be spent on activities related to the Swachhata Action Plan (SAP) for hygiene and sanitation. Release of funds for SAP Component under Samagra Shiksha for the years 2018-19, 2019-20 and 2020-21 are given below:

Year	Amount (Rs. in Lakh)
2018-19	20052.4468
2019-20	22400.9500
2020-21	22924.5575

* * * * *

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 111

उत्तर देने की तारीख: 08.12.2021

विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

111 **श्री टी. जी. वैंकटेशः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में आज की तारीख तक कुल कितने ऐसे विद्यालय हैं जिनमें पेयजल और स्वच्छता संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सभी विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ अभिनिर्धारित निधि और इस कार्य को पूरा किए जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री टी.जी. वेंकटेश द्वारा दिनांक 8 **दिसम्बर**, 2021 **को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या** 111 **के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) से (ग) एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइज+), **2019-20** के अनुसार, देश के कुल **15,07,708** स्कूलों में से **14,64,728** स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है; **14,17,073** स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय हैं और **14,47,833** स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाने वाले, 1245 केंद्रीय विद्यालयों और 650 जवाहर नवोदय विद्यालयों में 100 प्रतिशत पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, **2009** के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, **2009** की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधा सहित स्कूल अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और अधिदेश भी इन सरकारों पर ही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अपने क्षेत्राधिकार में गैर-सरकारी क्षेत्र (निजी, सहायता प्राप्त स्कूल, आदि) सहित सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा का प्रावधान होना चाहिए ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष **2018-19** से एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित स्कूल शिक्षा योजना- समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए, और पहचानी गई कमियों के आधार पर संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सभी सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर **1,00,000/-** रुपए प्रति वर्ष तक के अलग-अलग वार्षिक आवर्ती समग्र स्कूल अनुदान का भी प्रावधान करती है, जिसमें से कम से कम **10%** को स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाना है। वर्ष **2018-19, 2019-20** और **2020-21** के लिए समग्र शिक्षा के तहत एसएपी घटक के लिए जारी निधि का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**राशि (लाख रुपये में)**
2018-19	20052.4468
2019-20	22400.9500
2020-21	22924.5575

*****

विद्यालयों में पेयजल एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री टी.जी. वेंकटेश द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2021 को पूछा जाने वाला राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 111

कार्यकारी सार

(इस प्रश्न का उत्तर मांगने वाले माननीय संसद सदस्य आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से हैं)

प्रश्न का मुख्य विषय:

इस प्रश्न में देश में आज की तारीख तक उन स्कूलों की कुल संख्या के बारे में विवरण मांगा गया है जिनके पास पर्याप्त पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं नहीं हैं और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित निधि और पूरा करने संबंधी निर्धारित लक्ष्य सहित सभी स्कूलों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी समयबद्ध लक्ष्य का विवरण मांगा गया है। ।

सारांश:

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यूडाइज+), **2019-20** के अनुसार, देश के कुल **15,07,708** स्कूलों में से **14,64,728** स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है; **14,17,073** स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय हैं और **14,47,833** स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय हैं।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, **2009** के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारें उपयुक्त सरकारें हैं, और आरटीई अधिनियम, **2009** की अनुसूची में निर्धारित मानदंडों और संबंधित राज्य आरटीई नियमों के अनुसार स्कूलों में पेयजल और शौचालय सुविधा सहित स्कूल अवसंरचना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी और अधिदेश भी इन सरकारों पर ही है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बार-बार यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अपने क्षेत्राधिकार में गैर-सरकारी क्षेत्र (निजी, सहायता प्राप्त स्कूल, आदि) सहित सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय और सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा का प्रावधान होना चाहिए ।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष **2018-19** से एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित स्कूल शिक्षा योजना- समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों के सुदृढ़ीकरण के लिए, और पहचानी गई कमियों के आधार पर संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार पेयजल और शौचालय सहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और वृद्धि के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना सभी सरकारी स्कूलों के लिए छात्रों की संख्या के आधार पर **1,00,000/-** रुपए प्रति वर्ष तक के अलग-अलग वार्षिक आवर्ती समग्र स्कूल अनुदान का भी प्रावधान करती है, जिसमें से कम से कम **10%** को स्वच्छता और साफ-सफाई के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)संबंधित गतिविधियों पर खर्च किया जाना है। वर्ष **2018-19, 2019-20** और **2020-21** के लिए समग्र शिक्षा के तहत एसएपी घटक के लिए निधि जारी करने विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**राशि (लाख रुपये में)**
2018-19	20052.4468
2019-20	22400.9500
2020-21	22924.5575

*****

SHRI T.G. VENKATESH: Hon. Deputy Chairman, Sir, my first supplementary question to the Education Minister through you is regarding the budget allocation of the Government of India for providing drinking water and sanitary material to the Government schools all over the country. What is the budget allocation from 2014 to 2019 of the previous Government and the present Government? What is the budget allocation they have made? If you have any details, kindly give.

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Deputy Chairman Sir, the hon. Member has raised a good question, but it is not within the purview of his question. It is another question.

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, the Government of India, for the first time, allocated a large extent of funds to the State Government towards provision of water and toilets. If you see the entire country, they are not supplying treated water to the schools. Again in the same way, they are also not using cheapest chlorinated bleaching powder for sanitation. Sir, this is very important; otherwise, whatever the Government of India is doing for this will be wasted....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please ask your question.

DR. SUBHAS SARKAR: Sir, the hon. Member has raised a very good question and it is also heartfelt. But I would like to say that Education is in the Concurrent List of the Constitution and most of the schools are under the jurisdiction of concerned States and, practically, States have the responsibility and mandate to provide school infrastructure including drinking water and toilet facilities. But the Central Government is always very serious to give this service and according to that, under *Samagra Shiksha* which is aligned with our new National Education Policy, we always provide funds to the States. According to this, for schools, this fund is up to Rs.1 lakh, and ten per cent of this fund is being spent on *Swachhta Abhiyan,* that is, for toilets and other things, and even for supply of drinking water. In 2018-19, the fund was Rs.200.52 crores; in 2019-20, Rs.224.01 crore and in 2020-21, Rs.229.25 crore, and in the infrastructure, under Samagra Shiksha Abhiyan in the last three years, the total fund spent, you will be very happy to know, is Rs.8,936 crores.

श्री संजय सेठ: उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय विद्यालयों के भवन जर्जर स्थिति में हैं तथा कितना धन इन भवनों को ठीक करने तथा नये भवनों को बनाने के लिए आवंटित किया गया है?

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Member has raised a good question but it is also not within the purview of related question now.

श्री महेश पोद्दार: महोदय, प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एक समयबद्ध तरीके से पूरे देश के हर घर तक बिजली और पानी पहुंचा दिया गया है या पहुंचाया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसी तर्ज पर इस देश के हर स्कूल में भवन, डेस्क, बैंच, बिजली और सबसे महत्वपूर्ण किताबें भी समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा?

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Deputy Chairman, Sir, you and all the Members will be happy to know that under Swachh Vidyalaya Abhiyan initiative, between 2014 and August, 2015, that is, in one year initiative, massive toilets have been structured and done throughout the country.

श्रीमती रूपा गांगुली: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि स्वच्छ विद्यालय अभियान इनिशिएटिव में आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स दिये हैं। क्या आप राज्य के अनुसार बता सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल में विद्यालयों में आपने कितने बाथरूम्स बनवाए हैं?

श्री उपसभापति: आपका क्वेश्चन स्टेट से संबंधित है।

DR. SUBHAS SARKAR: I am happy to inform the hon. Member that in Swachh Bharat Initiative, 35,696 toilets have been developed in one year programme. This is very inspirative.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 112; Shri Derek O' Brien, not present. Hon. Minister.